ऑन लाईन नं.RCMS2019/00003

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 01/2019

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री डालचन्द पुत्र श्री द्वारका प्रसाद पारीक (नमूना विक्रेता एवं मालिक)
   मै0 श्याम मसाल केन्द्र खाजूवाला रोड, रावलामंडी , जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी– वार्ड नम्बर 17, शिवमंदिर गली रावला मण्डी, जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मेघराज सेतिया (निर्माता फर्म के सांझेदार)
   मै0 अजितनाथ इण्डस्ट्री, एफ–15–16 करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर
   निवासी– सत्यम शिवम सुन्दरम, नोखोरोड़,गंगशहर बीकानेर (राज0)
3. श्री मेघराज पुत्र श्री बृजलाल सेतियां (निर्माता फर्म के सांझेदार)
   मै0 अजितनाथ इण्डस्ट्री, एफ–15–16 करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर
   निवासी – सत्यम शिवम सुन्दरम, नोखोरोड़,गंगशहर बीकानेर (राज0)

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 धारा 26 धारा (2)(2)/52

निर्णय **दिनांक : 18.02.2019**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.01.2018 को दोपहर पूर्व 11.00 बजे श्री राजेश कुमार सहायक कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर वास्ते निरीक्षण फर्म मै0 श्याम मसाल केन्द्र खाजूवाला रोड, रावलामंडी , जिला श्रीगंगानगर पहुचे। वहां पर डालचन्द पुत्र श्री द्वारका प्रसाद पारीक उपस्थित मिला। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर निरीक्षण किया तो उपरोक्त दुकान में लगभग 200 बोतल **Mustard Oil (A-1 Brand)** के प्रत्येक एक लीटर (910 ग्राम) आमजन को विक्रय हेतु रखी हुई थी। मिलावट/ नकली का शक होने पर नमूना जांच संख्या के–879 के नमूनीकरण के लिये चार सील्ड बोतल प्लास्टिक प्रत्येक एक लीटर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

910 ग्राम) **Mustard Oil (A-1 Brand)** सहित खरदे जिसकी कीमत 360/– रूपये (अखरे तीन सौ साठ मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री राजेश कुमा सहायक कर्मचारी, एवं श्री कृष्ण अवतार के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **Mustard Oil (A-1 Brand)** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तो मै0 श्याम मसाल केन्द्र खाजूवाला रोड, रावलामंडी , जिला श्रीगंगानगर के दुकान में **Mustard Oil (A-1 Brand)** भरकर प्लास्टिक की बोतलों में आम जन के विक्रय हेतु रखी हुई थी। जिसमें से चार सील्ड बोतल प्लास्टिक प्रत्येक एक लीटर (910 ग्राम) **Mustard Oil (A-1 Brand))** जांच के लिए खरीद की, **Mustard Oil (A-1 Brand)** की कीमत 360/–रू (अखरे रूपये तीन सौ साठ मात्र) अदा की एवं खरीदी रसीद तैयार की, तथा उपस्थित गवाहान श्री श्री राजेश कुमार सहायक कर्मचारी एवं श्री कृष्ण अवतार के हस्ताक्षर करवाये। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री डालचंद पुत्र द्वारका प्रसाद एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **Mustard Oil (A-1 Brand)** युक्त प्लास्टिक की चारों बोतलों पर (नमूना भागो) पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड के–879 एवं अन्य विवरण दर्ज किया। लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप **के–879** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया । मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/ 45/ एक्ट/2018/139 दिनांक 23.01.2018 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–879 **Mustard Oil (A-1 Brand) अमानक स्तर MISBRANDED** खाद्य पदार्थ होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त डालचन्द पुत्र द्वारका प्रसाद पारिक **मै0** श्याम मसाल केन्द्र खाजूवाला

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

[redacted], रावलामंडी , जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Mustard Oil (A-1 Brand)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम **2006 धारा 26 धारा (2)(2)/52** के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 09.01.2019 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्तों श्री डालचंद पुत्र द्वारका प्रसाद पारिक, (नमूना विक्रेता एवं मालिक) विनोद कुमार पुत्र श्री मेघराज सेतिया (निर्माता फर्म के सांझेदार) ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Mustard Oil (A-1 Brand)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **MISBRANDED** पाया गया है। अप्रार्थी की दुकान में सरसों के तेल की जांच की गई तो सरसों के तेल में **MISBRANDED** पाया गया है। अप्रार्थी ने उक्त सरसों के तेल में सुधार कर लिया है। भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं करेगा। अप्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Mustard Oil (A-1 Brand)** का सैम्पल के–879 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/ 45/एक्ट/2018/ 139 दिनांक 23.01.2018 द्वारा **SUBSTANDARD** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की **धारा 26 धारा (2)(2)/52** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Mustard Oil (A-1 Brand)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **MISBRANDED** पाया गया है। अप्रार्थी की दुकान में सरसों के तेल की जांच की गई तो सरसों के तेल में **MISBRANDED** पाया गया है। अप्रार्थी ने उक्त सरसों के तेल में सुधार कर लिया है। भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं करेगा। अप्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में वर्णित उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात् नमूना विक्रेता एफएसएसए 2006 की धारा 31(2) तथा निर्माता एफएसएसए–2006 की धारा 31(1) के प्रकाश में, यह मानते हुए कि अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्तों डालचन्द पुत्र श्री द्वारका प्रसाद पारीक (नमूना विक्रेता एवं मालिक) विनोद कुमार पुत्र श्री मेघराज सेतिया (निर्माता फर्म के सांझेदार) पर **MISBRANDED Mustard Oil (A-1 Brand)** विक्रय करने पर धारा 26 **(2)(2)/52** के तहत संयुक्त रूप से शास्त्रि 10000/–रूपये (अखरे रूपये दस हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Mustard Oil (A-1 Brand)** का विधिक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

28.12.18

प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Mustard Oil (A-1 Brand)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/2/19

(नखतदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर